



क्रमांक- 1.5.1/अका./2012

बिलासपुर, दिनांक- 03.12.2012

बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विनियम 2009 के अनुपालन में संचालित Pre.-Ph.D. Course Work के संबंध में प्राप्त अध्यावेदनों पर विचार हेतु अध्ययन शालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 30.12.2011 में की गयी अनुशंसाओं को मान्य करते हुये विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित Ph.D. हेतु अध्यादेश, विनियम व Pre.-Ph.D. Course Work की अंक योजना पर निम्न स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं :-

1. Pre.-Ph.D. Course Work की अंक योजना यथावत होगी। साथ ही "Minimum Passing mark shall be 60%" को "minimum Pass mark shall be 60% in aggregate" पढ़ा जाय। उक्त स्पष्टीकरण Integrated M.Phil/Ph.D. with Exit option की अंक योजना के अनुसार किया गया, है, जिसमें syllabus में न्यूनतम 60% in aggregate (Theory) रखे गये हैं।
2. Integrated M.Phil/Ph.D. की भाँति ही Pre.-Ph.D. Course Work में भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 40% होगा।
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि Pre.- Ph.D. पाठ्यक्रम के लिये किसी भी विषय में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
4. सेमीनार "Qualify" करने हेतु मूल्यांकन योजना भी निम्नवत् होगी :-

"For being qualified in Seminar, the average marks given by different members of the panel of Examiners should not be below 50%. The recommendation to this effect be submitted by Dean on the basis of the above criteria. The evaluation process will be as follows-

- | | | |
|---------------------------------|---|----|
| 1. Subject Content | - | 40 |
| 2. Presentation Skills | - | 20 |
| 3. Justification & Scope of the | - | 10 |

Work

क्रमांक: 2...

4.	Ability to answer question asked	-	20
5.	Resources used	-	10
	(Bibliographical references)		

Total - 100

पी.एच.डी पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित छात्र जो कि Pre.- Ph.D. Course Work में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न करने के कारण पी-एच.डी में रजिस्ट्रेशन हेतु अर्ह घोषित नहीं किये गये हैं उन्हें Pre.- Ph.D. के सभी प्रश्न पत्रों में पुनः सम्मिलित होना होगा।

Pre.- Ph.D. Course Work की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम कुल उपस्थिति (75%) की पात्रता कुल आयोजित कक्षाओं के आधार पर की जायेगी।
कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

8/3/2012

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
बिलासपुर, दिनांक - 08/02/2012

पृष्ठमांक: 15.2 / अका. / 2012

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समरत अधिष्ठाता, अध्ययन शाला, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समरत विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित नस्ती।

Dm/s
उप- कुलसचिव (अका.)